न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना, आर.ए.एस.

1. प्रकरण संख्या :– 88/2019

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अनूपगढ

————अपीलार्थी

बनाम

1. रणवीरसिह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन 3एनडी तहसील अनूपगढ
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन 3एनडी तहसील अनूपगढ
3. चयनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन 3एनडी तहसील अनूपगढ
4. सरपंच, ग्राम पंचायत 3एनडी पंचायत समिति अनूपगढ

————रेस्पोडेन्टस

अपील आदेश विरूद्ध दिनांक 20.08.2018
ग्राम पंचायत 3 एनडी इन्तकाल संख्या 430

2. प्रकरण संख्या :– 89/2019

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अनूपगढ

————अपीलार्थी

बनाम

1. रणवीरसिह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन 3एनडी तहसील अनूपगढ
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन 3एनडी तहसील अनूपगढ
3. चयनसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत साकिन 3एनडी तहसील अनूपगढ
4. सरपंच, ग्राम पंचायत 3एनडी पंचायत समिति अनूपगढ

————रेस्पोडेन्टस

अपील आदेश विरूद्ध दिनांक 20.07.2018
ग्राम पंचायत 3 एनडी इन्तकाल संख्या 259

3. प्रकरण संख्या :– 90/2019

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अनूपगढ

————अपीलार्थी

बनाम

1. श्रवण सिंह पुत्र जबरसिंह निवासी वार्ड नं0 8 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ
2. धन सिंह पुत्र जबरसिंह निवासी वार्ड नं0 8 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ
3. सरपंच, ग्राम पंचायत 3एनडी पंचायत समिति अनूपगढ

————रेस्पोडेन्टस

अपील आदेश विरूद्ध दिनांक 20.07.2018
ग्राम पंचायत 3 एनडी इन्तकाल संख्या 143

4. प्रकरण संख्या :– 91/2019

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अनूपगढ

————अपीलार्थी

बनाम

1. रोशनी देवी पत्नी घासीराम सुथार निवासी 7 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. हनुमान प्रसाद पुत्र घासीराम सुथार निवासी 7 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

3. ओमप्रकाश पुत्र घासीराम सुथार निवासी 7 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत 7 एसजेएम पंचायत समिति अनूपगढ

----रेस्पोडेन्टस

अपील आदेश विरूद्ध दिनांक 05.07.2018
ग्राम पंचायत 7 एसजेएम इन्तकाल संख्या 272

5. **प्रकरण संख्या :– 92/2019**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अनूपगढ

----अपीलार्थी

बनाम

1. सुखपालसिंह पुत्र सोहनसिंह साकिन 7 एपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. जसपाल सिंह पुत्र सोहनसिंह साकिन 7 एपीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत 1 एलएसएम पंचायत समिति अनूपगढ

----रेस्पोडेन्टस

अपील आदेश विरूद्ध दिनांक 20.08.2018
ग्राम पंचायत 1 एलएसएम इन्तकाल संख्या 192

:: निर्णय :: दिनांक :– 13/08/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अपील क्रमशः

1. आदेश विरूद्ध दिनांक 20.08.2018 द्वारा नामान्तकरण संख्या 430 सरपंच ग्राम पंचायत 3एन.डी. कृषि भूमि चक 3 केएएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं0 28 पत्थर नं0 246/481 की 0.152 हैक्टर एंव मुरब्बा नं0 30 पत्थर नं0 247/482 की 1.265 हैक्टर कुल 1.417 हैक्टर
2. आदेश विरूद्ध दिनांक 20.07.2018 द्वारा नामान्तकरण संख्या 259 सरपंच ग्राम पंचायत 3एन.डी. कृषि भूमि चक 3 एनडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं0 02 पत्थर नं0 254/477 की 0.962 हैक्टर
3. आदेश विरूद्ध दिनांक 20.07.2018 द्वारा नामान्तकरण संख्या 143 सरपंच ग्राम पंचायत 3एन.डी. कृषि भूमि चक 4 एनडी मु0नं0 21 पत्थर नं0 257/481 की 2.657 हैक्टर
4. आदेश विरूद्ध दिनांक 20.07.2018 द्वारा नामान्तकरण संख्या 272 सरपंच ग्राम पंचायत 7 एसजेएम. कृषि भूमि चक 3 एसजेएम का मु0नं0 21 पत्थर नं0 246/486 की 6.325 हैक्टर भूमि मे से 2.300 हैक्टर
5. आदेश विरूद्ध दिनांक 20.08.2018 द्वारा नामान्तकरण संख्या 192 सरपंच ग्राम पंचायत 1 एलएसएम कृषि भूमि चक 3 एपीएम मु0नं0 37 पत्थर नं0 301/414 की 2.037 हैक्टर

जिनकी रूह से अपीलाधीन कृषि भूमि [illegible] रेस्पोडेन्टस् के नाम से जरिए दस्तावेज दस्तबरदारी [illegible] दर्ज किया गया। उपर्युक्त पाचों प्रकरणों के विरूद्ध भूमिधारी तहसील [illegible] द्वारा अपील पेश की गयी। जिनकी प्रकृति एक समान होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त अपील में भूमि बैंक के रहन थी, रहन का इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड को अनदेखा करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा हकत्याग का नामान्तरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। ग्राम

Scanned by CamScanner

पंचायत का आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर भू राजस्व अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर आलौच्य इन्तकाल आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा रहन का अंकन होने के बावजूद दस्तावेज पर सही अंकन का नोट लगाया जो कानूनन विधि मान्य नहीं है। वर्तमान में पूर्व में दर्ज एवं स्वीकृत हुए नामान्तकरण को ऑनलाईन दर्ज किए गये तो सरकार द्वारा जारी ऑनलाईन कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में इन्तकाल दर्ज किए जाने के दौरान उक्त त्रुटि संज्ञान में आई। जिस पर पटवारी हल्का से आंलौच्य आदेश इन्तकाल की नकल प्राप्त की गयी, जिस पर तुरन्त ही बिना किसी देरी के ज्ञान होते ही यह अपील पेश की जा रही है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपर्युक्त विधि विरूद्ध इन्तकाल को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेंटस् को प्रस्तुत अपील के संबंध में वजह प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। नोटिस बाद तामिली के प्राप्त होने पर शामिल मिसल किए गए।

प्रकरण संख्या–88/19, 89/19 व 90/19 मे रेस्पोडेंटस् द्वारा निश्चित तारीख पेशी पर असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पत्रावली मे उपस्थिति दर्ज करवाई गयी। जिन्हे ध्यानपूर्वक सुना गया।

प्रकरण संख्या–91/19 व 92/19 में जो रेस्पोडेंटस बावजूद तामिल उपस्थित नही हुये, उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी और उक्त प्रकरण में जो रेस्पोडेंटस असालतन/वकालतन उपस्थित पेश आये, उन्हें ध्यान पूर्वक सुना गया।

राजस्थान सरकार की ओर से भूमिधारी तहसीलदार ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि <u>डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम</u> **(डी.आई.एल.आर.एम.पी.)** भारत सरकार के राजस्व रिकॉर्ड के कम्प्यूटराईज्ड करने संबंधी महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत कार्य प्रगतिरत है। उक्त नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने के कारण उक्त नामान्तकरण कम्प्यूटर पर ऑनलाईन नहीं हो पा रहे है, जिसके कारण इसके पश्चातवर्ती नामान्तकरण दर्ज नहीं हो पा रहे है, जिससे काश्तकारों को बैंक ऋण संबंधी कार्य नहीं होने के कारण काश्तकारों के रोजमर्रा कृषि संबंधी कार्य प्रभावित होने के साथ–साथ आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए देरी संबंधी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विधि विरूद्ध नामान्तकरण को निरस्त करते हुए पूर्वास्थिति बहाल करने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त बहस, विवेचन एवं तहसीलदार की दलील के मध्यनजर रखते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया व बहस [illegible] उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से जाहिर होता है कि ग्राम पं[illegible] द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर बैंक के रहन होने के बावजूद भूमि के हकत्याग/दस्तबरदारी का नामान्तकरण निर्णित किया गया है। संबंधित राजस्व पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तकरण प्रस्तुत किया गया। जबकि उक्त नामान्तकरण राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उपर्युक्त वर्णित इन्तकाल निरस्त योग्य है।

–आदेश –

उपरोक्त समस्त अपील संख्या क्रमशः 88/2019 नामान्तकरण संख्या 430 दिनांक 20.08.2018, 89/2019 नामान्तकरण संख्या 259 दिनांक 20.07.2018, 90/2019 नामान्तकरण संख्या 143 दिनांक 20.07.2018, 91/2019 नामान्तकरण संख्या 272 दिनांक 05.07.2018, 92/2019 नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 20.08.2018 एतद् द्वारा अपास्त किये जाते है और उपर्युक्त भूमि को उक्त नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति बहाल कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस निर्देश के साथ तहसीलदार अनूपगढ को रिमाण्ड किये जाते है कि रेस्पोडेन्टस् नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो विधिक प्रावधान अनुसार समुचित सुनवाई कर पुनः विधि संगत निर्णय पारित करे। तहसीलदार उक्त नामान्तकरण को विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संबंधित राजस्व पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र/ आरोप विवरण पत्र तैयार कर 7 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत के विरूद्ध विधि विरूद्ध नामान्तकरण पारित करने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव श्रीमान् संभागीय आयुक्त बीकानेर को भिजवाते हुए 7 दिवस में रिपोर्ट भिजवाएंगे। रेस्पोडेंट उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

निर्णय दिनांक 13/08/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:01:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner